

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, वैशाली, सारण, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय,
लखीसराय, गोपालगंज, रोहतास, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पं० चं० (बेतिया), सीतामढ़ी, कैमूर,
मुंगेर, समस्तीपुर, बांका, मधेपुरा, औरंगाबाद, पूर्वी चं० (मोतिहारी), शेखपुरा, बक्सर, कटिहार एवं
भोजपुर।

पटना, दिनांक- 12.2.2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,32,11,000/- (अठारह करोड़ बत्तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,32,11,000/- (अठारह करोड़ बत्तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन



सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, वैशाली, सारण, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय,
लखीसराय, गोपालगंज, रोहतास, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पं० चं० (बेतिया), सीतामढ़ी, कैमूर,
मुंगेर, समस्तीपुर, बांका, मधेपुरा, औरंगाबाद, पूर्वी चं० (मोतिहारी), शेखपुरा, बक्सर, कटिहार एवं
भोजपुर।

पटना, दिनांक-

2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,32,11,000/- (अठारह करोड़ बत्तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,32,11,000/- (अठारह करोड़ बत्तीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा०-.....57...../ पटना, दिनांक- 12.2.2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, वैशाली, सारण, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, रोहतास, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पं० च० (बेतिया), सीतामढ़ी, कैमूर, मुंगेर, समस्तीपुर, बांका, मधेपुरा, औरंगाबाद, पूर्वी च० (मोतिहारी), शेखपुरा, बक्सर, कटिहार एवं भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वैतन	जीवन यापन भत्ता	भक्तन किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	विक्रिसा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वैतन एवं भत्ते	विक्रिसा प्रतिभूति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07		06 01	11 01	13 01
1	पटना	90,00,000	40,00,000	50,000	0	0	0	130,50,000	3,00,000	1,00,000	0
2	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00,000
3	जहानाबाद	60,00,000	2,00,000	10,000	0	5,000	0	62,15,000	0	0	0
4	गया	100,00,000	25,00,000	15,000	1,50,000	10,000	10,000	126,85,000	0	0	10,00,000
5	कैशाली	65,50,000	3,00,000	15,000	0	10,000	5,000	68,75,000	0	0	0
6	सारण	55,00,000	40,00,000	10,000	0	10,000	0	95,25,000	0	0	0
7	नालंदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00,000
8	दरभंगा	50,00,000	5,00,000	10,000	0	5,000	5,000	55,20,000	0	0	0
9	भागलपुर	40,00,000	60,00,000	10,000	2,00,000	5,000	0	102,15,000	0	2,00,000	8,00,000
10	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	2,23,000	0	0
11	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000
12	गोपालगंज	32,00,000	26,00,000	20,000	0	5,000	5,000	58,30,000	0	0	0
13	रोहतास	40,00,000		10,000	0	5,000	0	40,15,000	0	0	0
14	खगड़िया	10,00,000	4,00,000	10,000	0	5,000	5,000	14,20,000	1,00,000	0	0
15	मधुबनी	250,00,000	150,00,000	1,00,000	0	10,000	10,000	401,20,000	5,18,000	0	0
16	सुपौल	40,00,000	5,00,000	10,000	0	5,000	0	45,15,000	0	0	0
17	धनुषा (बैतिया)	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
18	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मुंगेर	30,00,000	20,00,000	10,000	0	0	0	50,10,000	0	0	0
21	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पूर्वांचल (मोतिहारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	शिवपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	भोजपुर	40,00,000	30,00,000	10,000	0	0	0	70,10,000	0	0	0
	कुल योग -	902,50,000	410,00,000	2,90,000	3,50,000	75,000	40,000	1320,05,000	11,91,000	3,00,000	32,00,000

contd....

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम कूट संख्या -	क्र० का ई० एवं रख		दूरस्थाष	वित्त प्रभार	वर्दी / पेशाक	विन्याय, महसूल एवं कर	आविष्य व्यय	कॉम्परेस कार्यशाला, सेमिनार	सविदा सेवाएँ	कुल	
		13	14									15
1	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00,000	164,50,000
2	उरवल	3,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	9,00,000
3	जसनाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00,000	82,15,000
4	गया	8,00,000	80,000	6,50,000	60,000	2,50,000	1,00,000	0	0	0	20,00,000	176,25,000
5	बैथली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00,000	83,75,000
6	सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00,000	135,25,000
7	नालंदा	5,00,000	0	0	0	0	3,00,000	0	6,00,000	0	10,00,000	29,00,000
8	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,00,000	80,20,000
9	भागलपुर	6,00,000	2,00,000	10,20,000	3,00,000	5,00,000	5,00,000	0	2,00,000	0	12,00,000	157,35,000
10	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	3,23,000
11	लखीसराय	3,00,000	1,60,000	3,00,000	45,000	1,00,000	1,50,000	0	1,00,000	0	4,00,000	19,55,000
12	गोधालमंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00,000	88,30,000
13	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00,000	48,15,000
14	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00,000	23,20,000
15	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,00,000	431,38,000
16	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00,000	65,15,000
17	शुभनगर (बैरिया)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00,000	10,50,000
18	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00,000	6,00,000
19	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00,000	5,00,000
20	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00,000	60,10,000
21	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00,000	40,00,000
22	बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
23	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	2,00,000
24	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00,000	7,00,000
25	पूर्वी च० (मोतिहारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00,000	6,00,000
26	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	1,00,000
27	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00,000	10,00,000
28	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00,000	12,00,000
29	मोतीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	72,10,000
	कुल योग -	25,00,000	4,40,000	19,70,000	4,05,000	8,50,000	10,50,000	0	9,00,000	0	384,00,000	1832,11,000

(अठारह करोड़ बत्तीस लाख न्याहड़ हजार रुपये) मात्र।

Handwritten signature

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग